रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल
Railway Recruitment Cell, West Central Railway
आर.बी.-IV, 290, स्टेशन रोड, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर.482001
RB- IV, 290, Station Road, South Civil lines, Jabalpur-482001
Website:-www.wcr.indianrailways.gov.in

सत्यमेव जयते

वर्ष 2022–23 के लिए पश्चिम मध्य रेलवे में स्काउट एवं गाइड कोटा के अंतर्गत भर्ती

रोजगार अधिसूचना संख्या – 05/2022 (स्काउट एवं गाइड कोटा) दिनांक 09/12/2022

❖ महत्वपूर्ण

- कृपया इस अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और इस आवेदन पत्र को ऑनलाइन भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप आवेदन करने के योग्य हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश पमरे की वेबसाइट – www.wcr.indianrailways.gov.in-> पर उपलब्ध हैं।
- उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर भारी लोड/जाम के कारण आवेदन जमा करने में किसी भी तरह की विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें।
- यदि उम्मीदवार के पास वैध निजी ई–मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपना ई–मेल आईडी बनाना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के समाप्ति तक उस ई–मेल आईडी को सुरक्षित रखना चाहिए।
- जिन उम्मीदवारों के पास कोई स्काउट और गाइड योग्यता नहीं है, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

1. पश्चिम मध्य रेलवे ने वर्ष 2022–23 के लिए स्काउट एण्ड गाइड कोटा के 08 पदों (मद 2 के अनुसार) को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है।

सारणी

ऑनलाइन आवेदन खुलने की तिथि	13/12/2022
ऑनलाइन आवेदन बंद होने की तिथि एवं समय	12/01/2023 को 23:59 बजे तक

2. स्काउट एण्ड गाइड कोटा के अंतर्गत रिक्तियों का विवरणः
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार विभिन्न स्तरों (लेवल) में भर्ती के लिए स्काउट एण्ड गाइड कोटा के विरूद्ध रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पद	वेतनमान	पदों की संख्या	पदों का वितरण
01	समूह 'ग'	लेवल–2 (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) (पे मैट्रिक्स रू.19900–63200)	02 (दो)	पश्चिम मध्य रेल पर
02	पूर्ववर्ती समूह 'घ'	लेवल–1 (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) (पे मैट्रिक्स रू.18000–56900)	06 (छः)	जबलपुर, भोपाल एवं कोटा मंडल प्रत्येक के लिए 02 पद

नोट – (क) अगर कोई उम्मीदवार दोनों लेवल (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) हेतु आवेदन करना चाहता है, तो उसे दोनों लेवल हेतु अलग–अलग आवेदन करना होगा।
(ख) ये रिक्तियॉ सभी समुदाय के उम्मीदवारों के लिए हैं तथा किसी भी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

3. राष्ट्रीयता/नागरिकता

(I) रेलवे सेवाओं में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार होना चाहिएरू

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल का का नागरिक, या

(ग) भूटान का का नागरिक, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया था, या

(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा और तंजानिया के संयुक्त गणराज्य या जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया है ।

बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ख), (ग), (घ) और (ङ) से संबंधित व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(II) कोई उम्मीदवार जिसके पास भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता का अंतिम प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन यदि वह चयनित हो जाता है, तो उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक अंतिम पात्रता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही दिया जाएगा।

4. आवश्यक योग्यता :

4.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :

क.सं.	पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
01	लेवल–2	अ). किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंक के साथ 12वीं (+2 स्टेज) या समकक्ष परीक्षा। अजा/अजजा/भूत–पूर्व सैनिक/विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए व्यक्ति या ऐसे उम्मीदवार जिनके पास उच्चतर शैक्षिक योग्यता अर्थात किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातोकत्तर इत्यादि है उनके लिए 50% अनिवार्य नहीं है। **नोट** – यदि किसी व्यक्ति को लिपिक–सह–टंकक के पद में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें नियुक्ति तिथि से दो वर्ष के अंदर अंग्रेजी में 30 डब्ल्यूपीएम या हिन्दी में 25 डब्ल्यूपीएम की टाइपिंग प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए तथा इस समय तक इस पद पर उनकी नियुक्ति अनंतिम होगी। **अथवा** ब). 7वें. केन्द्रीय वेतन आयोग के पे–मैट्रिक्स के लेवल–2 में टेक्नीशियन–III के लिए 10वीं पास प्लस एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी से अनुमोदित कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप/आईटीआई। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सहित कोई अन्य योग्यता वैकल्पिक योग्यता के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।
02	लेवल–1	10वीं पास या आईटीआई या समकक्ष या एन.सी.व्ही.टी द्वारा मान्य राष्ट्रीय अप्रेन्टिसशिप प्रमाण–पत्र (एन ए सी)

4.2 स्काउट एवं गाइड योग्यताएं : {लेवल–2 एवं लेवल–1 दोनों के लिए}

(i) प्रेसिडेंट स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर अथवा किसी भी सेक्शन में हिमालयन वुड बैज धारक (एच डब्ल्यू बी) तथा

(ii) पिछले 5 (पांच) वर्षों अर्थात 2017–18 से स्काउट संगठन में सक्रिय होना चाहिए। कोई भी एक साथ या एक ही समय में दो राज्य संघों का सदस्य नहीं हो सकता है। सक्रिय प्रमाण पत्र संलग्न अनुलग्नक 'ए' के अनुसार होना चाहिए तथा

(iii) राष्ट्रीय स्तर अथवा अखिल भारतीय रेलवे स्तर के दो प्रतिस्पर्द्धाओं तथा अनुलग्नक 'बी' के अनुसार राज्य स्तर के दो प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लिया हो

नोट – अधिसूचना के पैरा 11 (बी) के अनुसार, अनुलग्नक–बी के साथ अपलोड किये गये अतिरिक्त प्रमाणपत्रों पर अंक दिए जाएंगे।

5. आयु सीमा (01/01/2023 को)

लेवल	आयु समूह	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा			सभी के लिए जन्मतिथि की निम्न सीमा	टिप्पणी
		अनारक्षित	अपिव	अजा/अजजा		
लेवल–2	18 से 30 (सामान्य के लिए) तथा 5 वर्ष अजा/अजजा के लिए, 3 वर्ष अपिव के लिए	02/01/1993	02/01/1990	02/01/1988	01/01/2005	प्रत्येक श्रेणियों के लिए नीचे दिए गए पैरा 6 में दर्शाए अनुसार आयु सीमा में छूट लागू होगी।
लेवल–1	18 से 33 (सामान्य के लिए) तथा 5 वर्ष अजा/अजजा के लिए, 3 वर्ष अपिव के लिए	02/01/1990	02/01/1987	02/01/1985	01/01/2005	

नोट – उम्मीदवारों की जन्मतिथि उपरोक्त तालिका में दिए गए तिथियों (दोनों तिथियां शामिल हैं) के बीच होनी चाहिए।

6. आयु में छूट की सीमा :–

6.1 सेवारत रेल कर्मचारी जिन्होंने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा (निरंतर या भंग सेवा) की है, को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, जो कि सामान्य के लिए 40 वर्ष, अपिव के लिए 43 वर्ष तथा अजा/अजजा के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा के शर्ताधीन होगी।

6.2 रेल संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे केंटीन, को–ऑपरेटिव सोसाइटी एवं संस्थान के स्टाफ के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट उनके द्वारा की गई सेवा अवधि तक (तथापि अधिकतम 5 वर्ष की) होगी। उन्हें अपने आवेदन के साथ सेवा प्रमाण–पत्र, जिसमें उसके प्रदान किए गए सेवा अवधि का उल्लेख हो, जो उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा उचित रूप से जारी किया गया हो, के साथ–साथ अन्य संबंधित दस्तावेज संलग्न करना होगा।

6.3 विधवा/तलाकशुदा महिला/न्यायिक रूप से पति से अलग रहने वाली महिला परंतु पुनर्विवाह न हो (दोनों लेवल–2 एवं 1 के लिए) सामान्य – 35 वर्ष तक, अपिव–38 वर्ष तक, अजा/अजजा–40 वर्ष तक की छूट ।

6.4 दिव्यांगों के लिए :–

(i) लेवल–2 के पदों के लिए : सामान्य –40 वर्ष, अपिव–43 वर्ष तथा अजा/अजजा–45 वर्ष तक की छूट ।

(ii) लेवल–1 के पदों के लिए : सामान्य –43 वर्ष, अपिव–46 वर्ष तथा अजा/अजजा–48 वर्ष तक की छूट ।

6.5 01/01/1980 से 31/12/1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के सामान्य रूप से अधिवासित व्यक्तियों के लिए 05 वर्ष तक की छूट ।

6.6 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार : रक्षा सेवा में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि सहित 3 वर्ष अतिरिक्त की छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उन्होंने एटेसटेशन के उपरांत न्यूनतम 6 माह सेवा प्रदान किया हो।

7. आवेदन तथा शुल्क का भुगतान कैसे करें :

7.1 पश्चिम मध्य रेल की वेबसाईट **www.wcr.indianrailways.gov.in** पर जायें।

7.2 अनुदेशों को पढ़ने के लिए पाथ इस प्रकार है :–**About us→Recruitment→ Railway Recruitment Cell→ Scouts & Guides Notification→ Notification for Scouts & Guides Recruitment (2022-23).** अथवा

Notification for Scouts & Guides Recruitment (2022-23)'होम पेज के महत्वपूर्ण निर्देशों पर उपलब्ध रहेगा पर क्लिक करें।

7.3 पंजीयन संख्या के लिए ''नये पंजीयन''(न्यू रजिस्ट्रेशन) पर क्लिक करें।

7.4 पंजीयन संख्या एवं पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
7.5 विवरण भरें, फोटो, हस्ताक्षर, स्वयं प्रमाणित प्रमाण–पत्र (अर्थात शैक्षणिक योग्यता, जन्म प्रमाण–पत्र, स्काउट एवं गाइड योग्यता, जाति प्रमाण–पत्र इत्यादि) अपलोड करें।
7.6 ''परीक्षा शुल्क (इक्जामिनेशन फी)'' पर क्लिक करें ।
क) स्टेट बैंक कलैक्ट के उपयोग हेतु नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने के लिए दिये गए चेक बाक्स (चौकोर बाक्स) **{Check Box (Square Box)}** पर क्लिक करें।
ख) दिए गए ड्राप डाउन विकल्पों में कारपोरेट/संस्थान में ''मध्य प्रदेश'' का चयन करें।
ग) दिए गए ड्राप डाउन विकल्पों में कारपोरेट/संस्थान के प्रकार में ''सरकारी विभाग **(Govt. Department)**'' चुनें और ''सबमिट'' बटन पर क्लिक करें।
घ) दिए गए ड्राप डाउन विकल्पों में सरकारी विभाग के लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेल जेबीपी **(Railway Recruitment Cell West Central Railway JBP)** को चुनें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
ड़) भुगतान कोटि हेतु 'परीक्षा शुल्क **(Exam Fee)**' का चयन करें तथा मांगी गई जानकारी भरकर 'सबमिट' पर क्लिक करें।
च) एक कंफर्मेशन पृष्ठ आएगा, विवरण जॉचे तथा 'कंफर्म **(Confirm)**' पर क्लिक करें।
छ) भुगतान विकल्पों में से भुगतान माध्यम का चयन करें तथा भुगतान करें।
ज) सफल भुगतान होने के पश्चात् भुगतान रसीद जेनरेट होगी जिसका प्रिंट प्राप्त कर लें।

8. आवेदन–पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज :

8.1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ।
स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ/फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी – उम्मीदवारों को अपना रंगीन फोटो (आकार 3.5 सेमी x 3.5 सेमी, जो आवेदन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी / जेपीईजी फॉर्मेट, 100 डीपीआई, फ़ाइल का आकार 20 केबी –70 केबी के बीच होना चाहिए) जो बिना टोपी और धूप चश्मे के हो तथा उम्मीदवार के सामने का दृश्य स्पष्ट हो, अपलोड करना आवश्यक है। उम्मीदवार ध्यान दें कि आरआरसी/पमरे किसी भी चरण में पुराने/अस्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड करने या आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ और उम्मीदवार की वास्तविक शारीरिक कद काठी के बीच किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय लाने के लिए उसी फोटोग्राफ की दो अतिरिक्त प्रतियां अपने पास तैयार रखें।
8.2 हस्ताक्षर ।
स्कैन किए गए हस्ताक्षर/हस्ताक्षर के इमेज की सॉफ्ट कॉपी– उम्मीदवारों को अपने हस्ताक्षर (आकार 3.5 सेमी x 2.5 सेमी, जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट, 100 डीपीआई, फ़ाइल का आकार 20 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए) अपलोड करना आवश्यक है। ब्लॉक/कैपिटल या असम्बद्ध अक्षरों में स्कैन किए गए हस्ताक्षर को अस्वीकार किया जा सकता है।
8.3 आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति।
8.4 जन्म तिथि के प्रमाण स्वरूप स्वयं द्वारा सत्यापित 10वीं के प्रमाण पत्र की प्रति।
8.5 परीक्षा शुल्क/आयु में छूट संबंधी प्रमाण पत्र जैसे–अ.जा./अ.ज.जा./अपिव/ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग)/अल्पसंख्यक/दिव्यांग प्रमाण पत्र इत्यादि (अनुलग्नक–सी/डी/ई/एफ/जी/एच)।
8.6 अधिसूचना के पैरा 4.1 के अनुसार, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण स्वरूप स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति।
8.7 अधिसूचना के पैरा 4.2 के अनुसार, स्काउट्स एवं गाइड्स की योग्यता के प्रमाण स्वरुप प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति। (अनुलग्नक–ए एवं बी)

9. परीक्षा शुल्क :–

9.1 नीचे दिये गये उप–पैरा 9.2 में उल्लेखित उम्मीदवारों को छोड़कर शेष सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू. 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) है। इस राशि में से बैंक शुल्क काटने के बाद रू. 400/– उन उम्मीदवारों को वापस करने का प्रावधान है जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाते हैं एवं वास्तव में लिखित परीक्षा में उपस्थित होते हैं।

9.2 अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)/भूतपूर्व सैनिक/महिला/अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू. 250/– (केवल दो सौ पचास रूपये) है। इस राशि में से बैंक शुल्क की कटौती के बाद अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए गए तथा वास्तव में लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को वापस करने का प्रावधान है।

9.3 आवेदन करते समय, परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप (यानी – अनुलग्नक सी, डी, ई एवं एच) में आवश्यक प्रमाण पत्र यानी अ.जा./अ.ज.जा./दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/अल्पसंख्यक वर्ग अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

9.4 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए हैं तो उन्हें अनारक्षित उम्मीदवार माना जाएगा बशर्ते कि उन्होंने रू. 500/– परीक्षा शुल्क के रूप में जमा किया हो।

9.5 इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाईन किया जाना चाहिए (सभी बैंकों के लिए लागू सेवा शुल्क का वहन उम्मीदवारों द्वारा किया जायेगा)।

9.6 बिना परीक्षा शुल्क वाले आवेदनों को जहॉ कहीं अपेक्षित है, सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

9.7 आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवार का तात्पर्य उन उम्मीदवारों से है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50000/– (पचास हजार रूपये) से कम है। उन्हें अनुलग्नक 'डी' में दिए गए प्रारुप के अनुसार आय प्रमाण–पत्र अपलोड करना होगा।

9.8 अल्पसंख्यक का तात्पर्य मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी तथा जैन से है।

9.9 दिव्यांग केवल वे उम्मीदवार नौकरी/पद के लिए योग्य माने जाएंगे, जिनकी अशक्ता 40% से कम नहीं है।

9.10 आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त पैरा 9.1 एवं 9.2 के अनुसार पात्र उम्मीदवारों को बैंक शुल्क काटने के बाद शुल्क की वापसी की सुविधा के लिए लाभार्थी बैंक खाते का सही विवरण जैसे – लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आई एफ एस सी कोड प्रदान करना चाहिए जिस खाते में वे शुल्क की वापसी प्राप्त करना चाहते हैं। अपात्र पाए गए उम्मीदवारों को शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। जो उम्मीदवार पात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी आवेदन करते हैं, तो उन्हें भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

10. **अमान्य/अस्वीकृत आवेदनः–** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व समस्त अनुदेशों को पूर्णतः पढ़ लें अन्यथा उनके आवेदन निम्न एक या अधिक कारणों से अस्वीकृत किये जा सकते हैं। निम्नलिखित त्रुटियों एवं अनियमिताओं वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगाः–

(i) ऐसे आवेदक जो इस अधिसूचना के पैरा 4.1 एवं 4.2 में दिये गये भर्ती के मानदंड की शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं।
(ii) अधिक आयु या कम आयु ।
(iii) इस अधिसूचना के पैरा 8 के अनुसार, प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किये गये/अपलोड प्रमाण पत्र अपठनीय है।
(iv) अन्य कोई अनियमितताएं, जिसे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ अवैध समझता हो।

उम्मीदवार की उम्मीदवारी को निम्नलिखित आधार पर भी खारिज किया जा सकता है यदि (i) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिए कई आवेदन जमा करता है; (ii) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिए विभिन्न समुदाय के साथ कई आवेदन प्रस्तुत करता है; (iii) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिए अलग–अलग फोटो (चेहरे) के साथ कई आवेदन जमा करता है और (iv) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिए विभिन्न दस्तावेजों के साथ कई आवेदन जमा करता है।

यदि किसी उम्मीदवार का आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो वह पश्चिम मध्य रेलवे की वेबसाइट पर अस्वीकृति के कारणों के साथ अपनी स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। यदि उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में एसएमएस और ईमेल अलर्ट से इस संबंध में सूचित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं तो

एसएमएस और ईमेल अलर्ट भी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ई–मेल आईडी पर भेजे जाएंगे। अस्वीकृति के कारण (कारणों) के बारे में उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

11. भर्ती प्रकिया :–

इस अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले तथा स्काउट एवं गाइड कोटा के तहत नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र पाये गए उम्मीदवारों का निम्नलिखित के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगाः–

ए	लिखित परीक्षा	60 अंक
	लेवल–2 एवं लेवल–1 में भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में स्काउट एवं गाइड संगठन और उसकी गतिविधियों तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (40 अंक) होगें और एक निबंध का प्रश्न (20 अंक) होगा। **लिखित परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए नकारात्मक अंकन होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे।**	
बी	प्रमाण–पत्रों के अंक	40 अंक
	(i)राष्ट्रीय आयोजनों/राष्ट्रीय जम्बूरी में भागीदारी (अखिल भारतीय रेल आयोजन सहित)	10 अंक
	●प्रथम दो प्रमाण पत्र (अर्थात् न्यूनतम वांछित योग्यता)	कोई नहीं
	● एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र	07 अंक
	●दो या अधिक अतिरिक्त प्रमाण पत्र	10 अंक
	(ii)राज्य स्तर के आयोजन/रैलियों में भागीदारी	10 अंक
	●प्रथम दो प्रमाण पत्र (अर्थात् न्यूनतम वांछित योग्यता)	कोई नहीं
	● एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र	07 अंक
	●दो या अधिक अतिरिक्त प्रमाण पत्र	10 अंक
	(iii)नेशनल/स्टेट/अखिल भारतीय रेल स्तर पर स्पेशलाइज्ड स्काउट/गाइड पाठ्यक्रम	10 अंक
	● एक पाठ्यक्रम	07 अंक
	● दो या अधिक पाठ्यक्रम	10 अंक
	(iv) जिला रैलियों में भागीदारिता	10 अंक
	● एक प्रमाण–पत्र	कोई नहीं
	● दो प्रमाण–पत्र	07 अंक
	● तीन प्रमाण–पत्र	10 अंक
	कुल	100 अंक

नोट :–(क) लिखित परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में ली जायेगी।
(ख) लेवल–2 एवं लेवल–1 के लिए अलग–अलग लिखित परीक्षाएं होंगी।
(ग) सभी प्रमाणपत्र अधिसूचना जारी होने की तिथि या उससे पहले जारी होने चाहिए। (यानी 09–12–2022)

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (सिलेबस):– {लेवल–2 एवं लेवल–1 के लिए}

स्काउटिंग/गाइडिंग का इतिहास; विधि और वचन; संगठन–जिला एवं राज्य स्तर; प्रशिक्षण केन्द्र–जिला एवं राज्य स्तर; पुस्तकों का ज्ञान; भारत में लड़कों के लिए स्काउटिंग/लड़कियों के लिए गाइडिंग; आदर्श वाक्य (मोटो); बायां हाथ मिलाना; सलामी; प्रार्थना; ध्वज गीत; राष्ट्र गान;राष्ट्र ध्वज एवं स्काउटिंग ध्वज की जानकारी होना; विभिन्न अवसरों पर सामाजिक सेवाएं; पैदल सैर (हाइकिंग); प्रवीणता बिल्ला (प्रोफिसिएंसी बेजेज), ये कैसे प्राप्त किये जाते हैं; स्काउटिंग/गाइडिंग के चरण; चिंतन दिवस; स्काउट्स/गाइड्स/रोवर्स/रेन्जर्स के प्रगामी प्रशिक्षण; अग्र–गमन (पायनियरिंग); हस्तशिल्प; भारतीय रेलवे जंबुरेट; राष्ट्रीय जम्बूरी; हवाई जम्बूरी ।

राष्ट्रीय स्तर पर संगठन; राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र; डब्ल्यूएजीजीजीएस/डब्ल्यूओएसएम–उप राष्ट्रपति पुरस्कार प्रतियोगिता; प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता; सामुदायिक विकास कार्यक्रम; स्काउटिंग के उद्देश्य एवं विधि; बेहतर नागरिक बनाने में स्काउटिंग कैसे उपयोगी है?

12. महत्वपूर्ण निर्देश :–

12.1 उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्काउट एवं गाइड कोटा के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता का विनिश्चय उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर किया जाएगा। यदि भर्ती के किसी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आवेदन में दी गई कोई सूचना झूठी/गलत है या उम्मीदवार ने कोई संगत सूचना छिपाई है या उक्त पद (पदों) के लिए उम्मीदवार की पात्रता मापदण्डों को अन्यथा पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

12.2 उम्मीदवारों को अल्प सूचना पर लिखित परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन, आदि में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुलावा–पत्र संबंधी सूचना उनके ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा एवं ई–मेल पते पर ई–मेल एलर्ट (सतर्क) के माध्यम से भेजी जाएगी।

12.3 पैरा 5, 6 एवं 9 में उल्लिखित कोटियों से संबंधित आयु/शुल्क में छूट मांगने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय संलग्नकों में दिए गए अनुसार अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी।

12.4 रेलवे सहित केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन/सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम में पहले से ही नियुक्त उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा उनकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी।

12.5 नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों को चयनित पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित चिकित्सा स्वस्थता जांच पास करना होगा।

12.6 किसी भी रूप में अनुयाचन उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर देगा।

12.7 उम्मीदवारों को उपयुक्त प्राधिकारी से उचित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और ऐसा न कर सकने पर उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। यह विवरणिका (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) के अध्याय 11 द्वारा सर्वथा अपेक्षित है। पिछली भर्तियों में यह देखा गया है कि भारी संख्या में उम्मीदवार उपयुक्त प्राधिकारी से भिन्न प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः उन्हें अनुदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए सूचित किया जाता है।

12.8 अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों की दशा में सक्षम प्राधिकारी, जो कि तहसीलदार से नीचे के रैंक का न हो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अपिव के उम्मीदवारों को आयु में छूट का लाभ लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना की अंतिम तिथि से एक वर्ष पूर्व तक का जारी केन्द्र सरकार के प्रपत्र में अपिव नॉन–क्रीमी–लेयर (गैर नवोन्नत वर्ग) प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र में धर्म, जाति, जारी तिथि आदि समाविष्ट होना चाहिए एवं उस पर जारीकर्ता प्राधिकारी का मुहर लगा होना चाहिए।

12.9 इस पद के लिए आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे अधिसूचना में निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और उसे अपने आवेदन के साथ पैरा–8 में उल्लिखित समस्त आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित है। भर्ती के अगले चरण में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पमरे के पास भर्ती के किसी भी चरण में पात्रता शर्तों को पूरा न करने वाले किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

12.10 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन जन्मतिथि प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक अर्हता प्रमाण–पत्र, स्काउट एवं गाइड से जुड़े प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज, सभी मूल प्रति में, अवश्य लाने होगे जिसके बिना उन्हें इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12.11 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई यात्रा/दैनिक भत्ता/आवास नहीं दिया जायेगा। उम्मीदवार को चयन के दौरान 2–3 दिनों के लिये ठहरना पड़ सकता है जिसके लिये

उन्हें स्वयं अपनी व्यवस्था करनी होगी। रेल प्रशासन के पास मान्य तिथि निर्धारित करने, दस्जावेज सत्यापन स्थगित करने, स्थान परिवर्तन करने या अप्रत्याशित कारणों से दस्तावेज सत्यापन रद्द करने का अधिकार है और किसी उम्मीदवार द्वारा इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।

12.12 सफल उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार पश्चिम मध्य रेल पर कहीं भी पदस्थ/तैनात किया जाएगा जो रिक्तियों की उपलब्धता के अध्याधीन होगा और वे 05 वर्षो की अवधि के लिये पश्चिम मध्य रेल से बाहर स्थानांतरण की मांग नहीं कर सकते हैं।

12.13 इन पदों के लिये परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले (योग्य पाये गये) परंतु चिकित्सा परीक्षा में विफल होने वाले उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में किसी वैकल्पिक नियुक्ति के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

12.14 प्रमाण पत्रों के हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में होने पर उसके हिन्दी/अग्रेजी भाषा में अनुवाद की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना चाहिए। सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्वयं सत्यापित होनी चाहिए।

12.15 आवेदन में यदि कोई भी अनियमितता/कमी पाई जाती है तो रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को यह पूर्ण अधिकार सुरक्षित है कि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर सकता है।

12.16 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के पास किसी भी स्तर पर अतिरिक्त लिखित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के आयोजन का अधिकार सुरक्षित है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के पास रोजगार अधिसूचना में अधिसूचित किसी भी श्रेणियों के लिए किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताये किसी भर्ती प्रक्रिया का आंशिक अथवा संपूर्ण भाग निरस्त करने का भी अधिकार सुरक्षित है।

12.17 पात्रता, आवेदन की स्वीकारिता अथवा निरस्तीकरण, मुफ्त रेलवे पास जारी करना, गलत जानकारी हेतु दण्ड, चयन का तरीका, लिखित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि समस्त मामलों में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ अथवा पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।

12.18 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ किसी भी असावधानीवश हुई गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

12.19 पैनल को अंतिम रूप देने के पश्चात लेवल–2 व लेवल–1 में विशिष्ट श्रेणी तथा नियुक्ति स्थान का निर्णय उचित प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

12.20 भर्ती के समस्त स्तरों पर उम्मीदवार की भर्ती पूरी तरह से अस्थायी होगी तथा अधिसूचना के अनुदेश एवं निर्धारित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने के अधीन होगी। लेवल–2 व लेवल–1 हेतु अलग से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु तिथि केवल पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in पर अधिसूचित की जाएगी।

12.21 प्रवेश–पत्र पमरे की वेबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

12.22 रेल प्रशासन द्वारा किसी उम्मीदवार का चयन उन्हें उस पद पर नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

12.23 रेल प्रशासन किसी डाक विलंब या गलत सुपुर्दगी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

12.24 भर्ती के किसी भी चरण में अनजाने में हुई त्रुटि या चूक को सुधारने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित है और गलत तरीके से नियुक्त उम्मीदवार को रेलवे सेवा से सरसरी तौर पर हटा दिया जाएगा।

12.25 किसी भी व्याख्या या गलती की स्थिति में केवल रोजगार अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण वैध माना जाएगा।

13. छद्मरूपण/तथ्यों को छिपाना/चेतावनीः–

11.1 कोई भी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर छद्मरूपण या छद्मरूपधारी का सहारा नहीं लेगा। ऐसे अभ्यर्थी पर रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में भाग लेने से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा तथा साथ ही रेलवे में किसी भी नियुक्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।

11.2 किसी उम्मीदवार द्वारा परीक्षा में शामिल होने हेतु मुफ्त यात्रा की सुविधा सहित पात्रता पाने या सुविधाएं प्राप्त करने हेतु किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाने या जाली प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी उम्मीदवारी उस विशेष भर्ती हेतु निरस्त कर दी जाएगी जिसके लिए उसने आवेदन किया है। इसके अलावा अगले दो वर्षों की अवधि तक पूरे देश के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं हेतु उसे अमान्य कर दिया जाएगा एवं अगर आवश्यकता हुई तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई शुरू की जा सकती है।

चेतावनी :– रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए झूठे वादों से या प्रभाव से या अनुचित और अनैतिक तरीकों से धोखा देने की कोशिश कर रहे दलालों और नौकरी का रैकेट चलाने वाले ठगों से सावधान रहें। उम्मीदवारों को व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया जाता है। कृपया असामाजिक तत्वों से सावधान रहें तथा उनके झांसे में न आएं। आरआरसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

12. विधिक मामले: इस रोजगार अधिसूचना से उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मामला केवल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा।

13. संक्षिप्तियॉ :–

(क) अजा – अनुसूचित जाति
(ख) अजजा – अनुसूचित जनजाति
(ग) अपिव– अन्य पिछड़ा वर्ग
(घ) ईबीसी–आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग
(ड.) आरआरसी–रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
(च) पमरे – पश्चिम मध्य रेल

उप मुकाधि/राज.
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

संलग्न : अनुलग्नक–ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एवं एच (अधिसूचना के पैरा 7.2 के अनुसार **www.wcr.indianrailways.gov.in** पर दिये गये लिंक पर उपलब्ध हैं)